



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक:- 536 /12-1 दिनांक: देहरादून 16 सितम्बर, 2023

सेवा में,

वन महानिरीक्षक (एफ0सी0),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज,  
नई दिल्ली- पिन- 110003।

विषय:- जनपद-उधम सिंह नगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में कोसी दाबका भाग-2 से 150 है0 वन भूमि में उप खनिज चुगान (रेता, बजरी, बोल्टर) हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति दिये जाने के संबंध में लगाई गयी EDS आपत्ति के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UK/MIN/60921/2020)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-30/2021-F.C./ दिनांक 16.02.2023।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की EDS 16.02.2023 के क्रम में चाही गयी सूचना वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की पत्र संख्या 337/12-1 दिनांक 02.09.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है:-

क्र.सं.	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	<p>It was intimated to the State Government that as per the boundaries of the Corbett Tiger Reserve available with the DSS cell (Procured from NTCA/WII) the distance of proposed site is 8.50 km from the Corbett Tiger Reserve. Therefore, either there is discrepancy in the boundary of above PA or the KML of the proposed area being used is not correct. The state Govt. was requested to recheck the boundaries/KML File and accordingly take appropriate action keeping in view the distance of proposed site from the Corbett National Park Tiger Reserve and the Eco-Sensitive Zone of the PA. In this regard the State Government has replied as under:</p> <p>पुनः सत्यापन हेतु मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण, गुल्यांकन आई0टी0 आधुनिकीकरण उत्तराखण्ड देहरादून को भी पत्र लिखा गया है। जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त होने के प्रेषित किया जायेगा।</p> <p>It is pertinent to mention here that the ESZ of Corbett Tiger Reserve has not been notified, thus the default ESZ of 10 kms would be applicable. The State Government is therefore again requested to examine the matter and submit complete reply to the query raised.</p>	<p>वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग द्वारा पुनः प्रस्तावित खनन क्षेत्र कि हवाई दूरी के संबंध में मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, गुल्यांकन आई0टी0, आधुनिकीकरण उत्तराखण्ड देहरादून का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। जिसके अनुसार प्रस्तावित कोसी-दाबका भाग-2 खनन क्षेत्र की कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से 16.7 किमी0, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व से 11.4 किमी0 तथा पावलगढ कंजर्वेशन रिजर्व से 18.2 किमी0 की हवाई दूरी पर स्थित है। उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।</p>
2	<p>Approved mining Plan for which the present proposal is submitted may be provided.</p>	<p>वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार निदेशक, भुतत्व एवं खनिकर्म इकाई, निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून की पत्र सं0 1262/उ0ख0/भू0खनि0नि/मा0प्लान/ 2023-24, दिनांक 23 जून 2023 से प्रस्तावित क्षेत्र की स्वीकृत खनन</p>

		योजना प्रेषित की गयी है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
3	Propose Wise component wise breakup of proposed Forest Land i.e. the area proposed under various components like mining/safety zone/road etc has still not been submitted.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार कुल प्रस्तावित क्षेत्र 150.0 है० में से 75.0 है० क्षेत्र खनन हेतु उपयोगी है। जिसमें से सतही मृदा (Top Soil) व Over Burden के भण्डारण हेतु wast dump का क्षेत्रफल 5.96 है० है। वाहन के आवागमन हेतु Approach Road अथवा आधारभूत संरचना (Infrastructure) के लिये 2.16 है० वन भूमि का उपयोग किये जाने का प्रावधान है, जिसे अनुमोदित खनन योजना की प्लेट सं०-04 व 07 में दर्शाया गया है।
4	CB analysis is required to be submitted as per the format prescribed in the FCA, 1980 Handbook of guidelines.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के आधार पर पुनः तैयार कर प्रेषित की गयी है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
5	The State Govt. has submitted the DSR report prepared in 2018. In this Regard a Fresh District Survey report of the District Udham Singh Nagar Shall Be provided.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार उपलब्ध कराई गई उधम सिंह नगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2019-2023 प्रेषित की गयी है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,  
16/9/23  
(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 536 / 12-1 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की पत्र संख्या 337/12-1 दिनांक 02.09.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।

(आर०के० मिश्र)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।